प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक

साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 11-18 मार्च 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या सरकार के कर्ज लेने पर आम आदमी को सवाल पूछने का हक नही है

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्जभार 52000 करोड़ तक पहुंच गया है। इस बढ़ते कर्जभार पर अब आम आदमी भी चिन्ता व्यक्त करने लग गया है। क्योंकि जब सरकार को कर्ज उठाने की नौबत आ जाती है तब उसका असर हर चीज पर पड़ता है यह एक स्थापित सच है। फिर अगर कर्ज लेकर कोई स्थायी संपत्ति बनायी जाये और उससे भविष्य में आत्म निर्भर होने का साधन बने तब यह कर्ज चिन्ता का विषय नही होता है। यदि कर्ज से स्थायी आय के स्त्रोत न बने तो यह कर्ज गंभीर चिन्ता और चिन्तन का विषय बन जाता है। 31 मार्च को समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2018-19 का सरकार का कुल खर्च अनुपूरक मांगो को डालकर 44000 करोड़ से थोड़ा अधिक है। इस खर्च के मुकाबले इस वर्ष की सरकार की कुल आय 30,000 हजार करोड़ से कुछ अधिक है। इस तरह सरकार के आय और व्यय में 14000 करोड़ का अन्तर है। स्वभाविक है कि इस खर्च को पूरा करने के लिये सरकार के पास कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह का खर्च यह सरकार करती आ रही है उसको लेकर समय-समय पर सवाल भी उठते आ रहे हैं। जिनमें कर्ज लेकर आरामदेह मंहगी गाड़ियां खरीदे जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठता रहा है। कर्ज लेने के बावजूद सरकार बेरोजगारों को स्थायी नौकरीयां नही दे पा रही है। नौकरीयों में अभी भी आऊट सोर्स, आर के एस और पीटीए जैसी योजनाएं चलानी पड़ रही है। क्योंकि इनमें नियमित नौकरी पर मिलने वाले वेतन के आधे से भी कम वेतन देकर काम चलाया जा रहा है।

ऐसे में यदि यह सवाल उठाया जाये कि इतना कर्ज लेकर सरकार ने आय के कौन से स्थायी साधन खड़े किये हैं तो शायद इसका कोई बड़ा प्रमाणिक जवाब सरकार के पास नही है। सरकार को टैक्स के रूप में जो कुल आय हो रही है उसकी स्थिति यह है

Tax/Compensation Detail			
	01.07.2017 to 31.3.2018 (Rupees)	01.04.2018 to 31.01.2019 (Rupees)	Total (Rupees)
SGST	981.11Cr.	1300.90 Cr.	2282.01 Cr.
IGST Settlement & Provisional IGST Settlement	852.04 Cr.	1561.58 Cr.	2413.62 Cr.
Compensation	1059.00 Cr.	1224.00 Cr.	2283.00 Cr.
Total	2892.15 Cr.	4086.48 Cr.	6978.63 Cr.

कर आय के बाद सरकार को गैर करों से भी आय होती है। उसकी स्थिति इस प्रकार है।

करेतर राजस्व के भाग (राज्य के अपने स्रोतों से)					रूपये करोड़ों में
वास्तविक 2016-17	कुल का प्रतिशत	संशोधित अनुमान 2017-18	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2018-19	कुल का प्रतिशत
650.93	37.91	650.00	40.57	725.00	36.59
18.50	1.08	44.39	2.77	46.43	2.34
176.22	10.26	136.60	8.53	175.28	8.85
871.59	50.76	771.06	48.13	1034.49	52.22
1717.24	100.00	1602.05	100.00	1981.20	100.00

इस तरह टैक्स और नॉन टैक्स दोनों का आंकलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आय के स्थायी साधन बढ़ाने में कोई बड़ा काम नही कर पायी है। एक समय सरकार ने पनविद्युत परियोजनाओं को यह माना था कि आने वाले समय में अकेले विद्युत से ही प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायेगा लेकिन सरकार का रिकार्ड दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र से हर वर्ष टैक्स और गैर टैक्स राजस्व में कमी आती जा रही है। प्रदेश सरकार की अपनी ही परियोजनाओं में हर वर्ष हजारों घण्टों शटडाऊन हो रहा है। सरकार और विजिलैन्स तक इसकी शिकयतें गयी हुई हैं लेकिन इसकी जांच करने के लिये कोई तैयार नही है। जबकि इस शटडाऊन से हर दिन करोड़ो के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

दूसरी ओर सरकार का वित्तीय प्रबन्धन सरकार की नीयत और नीति पर भी बहुत गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। संविधान की धारा 204(3) के तहत राज्य की समेकित निधि से अधिक एक पैसा भी खर्च नही किया सकता है। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से सरकार को इस निधि से अधिक खर्च करना पड़ जाये तो ऐसे खर्च को संविधान की धारा 205 के तहत एकदम सदन से अनुमोदित करवाना पड़ता है। कैग की 31 मार्च 2017 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 से लेकर 2015-16 तक हुए ऐसे खर्च को सितम्बर 2017 तक भी अनुमोदित नहीं करवाया गया था। कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि इस संद्धर्भ में सरकार संविधान की भी अनुपालना नहीं कर रही है। सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात में तय सीमा से बढ़ता जा रहा है इसके लिये भारत सरकार का वित्त विभाग 2016-17 में प्रदेश सरकार को चेतावनी पत्र तक जारी कर चुका है। इस पत्र को शैल अपने पाठकों के सामने पहले ही रख चुका है। इस अधिक खर्च को लेकर कैग की टिप्पणी भी पाठकों के सामने रखी जा रही है।

As per Article 204 (3) of the Constitution of India, no money shall be withdrwwn from Consolidated fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

Not withstanding the above excess expenditure over budget provision increased by Rs.189.18 crore (6.64 percent) from Rs. 2.848.43 crore in 2015-16 to Rs.3,037.61 crore (includes Rs.2,890.50 crore relating to UDAY scheme) in 2016-17 indicating that budgetary estimates were not reviewed properly. Details of various grants / appropriations where aggregate expenditure (Rs. 10,803.41 crore) exceeded by Rs. 3,037.22 crore from the approved provisions in four cases (Rs. one crore or more in each case) are given in Appendix 2.1

Firm measures need to be insitutied against the defaulting departments to avoid excess expenditure. There is no cogent reason for the inevitability of excess expenditure when Government gets opportunities to present the supplementary Demands for Grants during the three sessions of Legislature in a year. The exceeding of Budgetary Grant is the result of bad planning, lack of foresight and ineffective monitoring on the part of budget estimates as well as supplementary Demands for Grants.

2.3.1.1 Excess over provisions requiring regularization -As per Article 205 of the Constitution of India it is mandatory for a state Government to get the excess over a grant/ appropriation regularised by the State Legislature. Although no time limit for rgularisation of excess expenditure is done after the prescribed under the Article , the regularization of excess expenditure is done after the completion of discussions on the Appropriation Accounts by the public Accounts Committee (PAC) However, the excess expenditure amounting to Rs.6,364.57 crore (Appendix 2.2) for the years 2011-12 to 2015-16 was yet to be regularized as of September 2017. The excess expenditure of Rs. 3,037.61 crore (Appendix 2.3) incurred in five grants and three appropriations during the years 2016-17 also requires regularisation.

उच्च न्यायालय में आयी याचिका से उठा सवाल

कैग की इन टिप्पणीयों से सरकार के बजट प्रबन्धन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। सरकार हर माह कर्ज ले रही है लेकिन यह कर्ज खर्च कहां किया जा रहा है इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को नहीं दी जा रही है। यदि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पिछली सरकारों के कार्यो और नीतियों के कारण बिगड़ी है तो उसके लिये यह सरकार इस संबंध में एक श्वेतपत्र जारी करके प्रदेश की जनता को विश्वास में ले सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया है जिसका सीधा सा अर्थ है कि वर्तमान स्थितियों के लिये यही सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में इस लगातार लिये जा रहे कर्ज से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि कहीं सरकार विकास के नाम पर अपने ही राजनीतिक दल के ऐजैंड़ा को पूरा करने के लिये प्रदेश पर यह कर्ज का भार तो नहीं बढ़ा रही है। यह आशंका इसलिये उभरती है कि जब इस कर्ज की स्थिति को लेकर चिन्ता जताते हुए एक जनहित याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी तब इस याचिका पर सरकार का यह कहना कि आम आदमी को यह जानने का हक नही है कि सरकार कहां और कैसे खर्च कर रही है। आज चुनाव के परिदृश्य में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय राजनीतिक दलों के वायदों का संज्ञान लेकर उनसे यह पूछे कि इन वायदों को पूरा करने के लिये संसाधन कहां से आयेंगे? क्या इनके लिये कर्ज लिया जायेगा? आज यह समय की मांग है कि वायदों के प्रालोभनों से जनता को बचाया जाये और यह अब न्यायापालिका के लिये ही संभव रह गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस संदर्भ जो याचिका आयी है उस पर आगे जून में सुनवाई होगी। इसलिये यह उम्मीद की जा रही है कि उच्च न्यायालय जनहित में प्रदेश की इस आर्थिक स्थिति का समुचित संज्ञान लेते हुए प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसने से बचाने के लिये सरकार को कुछ ठोस निर्देश देगा।

आचार्य देवव्रत ने की शिवरात्री महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सप्ताह भर आयोजित मण्डी शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मेले और त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं जो हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करने और इन्हें संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि इनका आयोजन केवल औपचारिकता के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इनके माध्यम से परिलक्षित होने वाली परम्पराओं

के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश एवं राज्य की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान शिव मानव कल्याण का प्रतीक हैं और उनके नाम पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार मानव आस्था को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप एक है लेकिन उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। ईश्वर हमें एकजुटता, प्रेम और सद्भावना से रहने का महान संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है जबकि धर्म का संदेश मानवता की सेवा करना है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार अपने आप में अद्भुत हैं क्योंकि ये प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। लोगों को इनमें पूरी ऊर्जा और जोश के साथ बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समाज से बुराइयों को मिटाने में अपना योगदान दे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण करें ताकि इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके।

राज्यपाल ने इस मेले का आयोजन 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर रखने के लिए मेला समिति को बधाई दी और कहा कि हमारी बेटियां विकास के हर क्षेत्र में अहम योगदान दे रही हैं। वे घर की रौनक होती हैं तथा हमें प्रण लेना चाहिए कि हम बेटे व बेटी में कोई भेदभाव न रखें।

आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर सभी से नशे दे दूर रहने का आह्वान भी किया।

उन्होंने मेले के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

इससे पूर्व राज्यपाल ने जलेब में भाग लेने से पहले माधोराय मन्दिर में पूजा-अर्चना की। जलेब में लोगों ने अपने देवी-देवताओं की पालकियों के साथ भाग लिया। बारिश के बावजूद लोगों ने शोभायात्रा में भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय लोग रंग-बिरंगे परिधानों में देवी-देवताओं की पालकियों के साथ पड्डल मैदान पहुंचे।

उपायुक्त एवं मेला समिति के अध्यक्ष ऋगवेद ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा मेले के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष केवल चार सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की गई जबकि दो संध्याओं की धनराशि शहीदों के परिवारों तथा एक सांस्कृतिक संध्या की धनराशि 'सैनिक शौर्य' के नाम से सैनिकों को समर्पित की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना के दिशा-निर्देश जारी

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2012 की न्यायादेश याचिका (Writ Petition) (सिविल) संख्या 235 सेवलाईफ फॉउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य के मामले में दिए गए निर्देशो की अनुपालना में तथा इन निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

सड़क यातायात दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी, बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति को निकटम अस्पताल लेकर जा सकता है तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरन्त जाने की अनुमति दी जाएगी तथा उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी को भी पता प्रस्तुत करने के बाद जाने दिया जाएगा।

बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल और अपराधिक दायित्व के लिए उतरदायी नहीं होगा।

एक बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल व्यक्ति के लिए पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने के लिए फोन कॉल करता है, उसे फोन पर या व्यक्तिगत रूप से अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

गुड सेमेरिटन का नाम और सम्पर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जाये। ऐसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए एम एल सी (MLC) फॉर्म में भी किया जाएगा।

यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो स्वेच्छा से उल्लेख करता है कि वह दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है और पुलिस द्वारा जांच के प्रयोजनों के लिए या परीक्षण के दौरान उसकी जांच की जानी आपेक्षित हो तो ऐसे बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से एक बार ही पूछताछ की जाएगी।

जांच या तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत एक आयोग के माध्यम से हो सकती है या औपचारिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 296 के अनुसार हलफनामें पर हो सकती है।

सड़क यातायात दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत या मुआवजा दिया जाएगा।

पुलिस अधिकारी द्वारा यदि एक बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को डरा-धमकाकर अपने नाम या व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

आम जनता को सूचित किए जाने हेतु विज्ञापन, पैम्फलेट व अन्य सड़क सुरक्षा बैठकों के माध्यम से बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन के संरक्षण के प्रावधान के बारे में आवश्यक जागरूकता उत्पन्न की जाए।

सोलन लोस चुनाव में होंगे 557 मतदान केंद्र

शिमला/शैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सोलन जिला में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट जबकि 70 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2019 के आधार पर जिले के 383070 मतदाता लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मताधिकार के लिए जिले में 557 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 557 मतदान केंद्रों में से 34 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 13 मतदान केंद्र नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे वे अपनी पहचान की पुष्टि के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन कागजात, संसद सदस्य, विधायक या म्यूनिसिपल काउंसलर को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड दिखा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों और सभाओं के आयोजन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा स्थलों को चिन्हित किया गया है। यह स्थल राजनीतिक दलों द्वारा लिखित आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित बनाने के लिए 15 स्टेटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। जबकि इतनी ही संख्या में फ्लाइंग स्क्वायड भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 10 वीडियो सर्विलांस टीमें भी गठित की गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान भी लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार रैलियों और सभाओं इत्यादि के आयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न आइटमों के रेट चार्ट को भी अनुमोदित किया जा चुका है। इसी रेट चार्ट के आधार पर व्यय को संबंधित प्रत्याशी या राजनीतिक दल के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

दस माह के भाषा शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा भारतीय भाषाओं में भाषा शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पाठ्यक्रम की अविधि दस माह है संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में उपलब्ध करवाया है। इस संस्थान में दस माह (जुलाई से अप्रैल) का उर्दू प्रशिक्षण दिया जाता है। यह जानकारी उर्दू शिक्षण तथा अनुसंधन केन्द्र के एक प्रवक्ता ने दी।

इस पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि अनिवार्य है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक ने संस्थान के किसी भी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र से प्रशिक्षण नहीं लिया हो। आवेदक उस भाषा के लिए आवेदन ना करें जिसे वो पहले से ही जानता हो।

यह सभी सीटें ऐसे अध्यापकों के लिए आरक्षित है, जो सरकारी विद्यालय/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा छठी से दसवीं तक पढ़ाते हों साथ ही कम से कम तीन वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखते हो उन्हें अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा तथा 800 रूपये प्रतिमाह वृत्ति प्रदान की जाएगी/जो अभ्यार्थी अध्यापक बनने की योग्यता रखते है जैसे बी.एड. या एम. एड. वाले अभ्यर्थी भी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र है उन्हें 5000 रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा स्नातक उपाधि वाले भी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे लेकिन उनको केवल 800 रूपये प्रतिमाह वृत्ति प्रदान की जाएगी। 94189 92852, विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की वेबसाइट www.ciil.org पर भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखे और आवेदन पत्र डाऊनलोड करें तथा भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि एवं 150 रूपये का बैंक ड्राफ्ट "MHRD HIGHER CAS CLG" payable at New Delhi बनवा कर निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री मैसूर-57006 डाक से भेजें। आवेदन पत्र संस्थान के निदेशक के कार्यालय में 29 अप्रैल 2019 तक पहुँच जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर उर्दू शिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र 01792-223424 पर संपर्क किया जा सकता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

बैंकों से कृषि एवं स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने का आग्रह:ऋग्वेद ठाकुर

शिमला/शैल। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बैंकों की जिला सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला के समस्त बैंकों से कृषि एवं स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने को कहा है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को जिला में सीडी अनुपात में सुधार के लिये ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीडी अनुपात की बढ़ोतरी को लेकर गठित उपसमिति कारगर नीति बनाकर प्रभावी तरीके से उसे लागू करे।

बैठक में तीसरी तिमाही में बैंकों तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की तथा ऋण वितरण संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तीसरी तिमाही तक प्राथमिकता क्षेत्र में 1048.71 करोड़ रूपये, कृषि ऋण क्षेत्र में 472.75 करोड़ रूपये, लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म क्षेत्र में 355.95 करोड़ रूपये व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 220 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों को लेकर भी जागरूकता पर बल देने क लिए 'स्त्री' अभियान चलाया गया है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गुरदेव चंद शर्मा ने बैंकों के प्रतिनिधियों से संवेदनशील तथा जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची विभाग को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि उन क्षेत्रों की समुचित निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों में धन ले जाते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से भी बैंक में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने वाले भ्रामक संदेशों को नजर अंदाज करने को कहा तथा संदेह की स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचित करने का आग्रह किया।

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी असलम बेग ने बैंक प्रतिनिधियों से ऋण मामले स्वीकृत करते समय लाभार्थी के सभी दस्तावेज लेना सुनिश्चित करने को कहा ताकि मामला न्यायालय में जाने पर उसे सत्यापित कर सके।

अन्ततः एन जी टी की पांच मंजिला कैंसर सैन्टर को मिली हरी झण्डी

शिमला/शैल। एनजीटी ने इन्दिरा गांधी मेडिकल अस्पताल के क्षेत्रीय कैंसर सेंटर के साथ प्रस्तावित टर्शरी कैंसर सेंटर की पांच मंजिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। पंचाट ने शर्ते लगाई है कि कैंसर अस्पताल की इस इमारत पर सोलर एनर्जी, रेन हार्वेसिटंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान करना जरूरी है ताकि पर्यावरण के संभावित नुकसान को रोका जा सके।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, सदस्य एस.पी. वांगड़ी, के.रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य नगीन नंदा की पीठ ने स्वास्थ्य विभाग की अर्जी पर यह हरी झंडी दी। पीठ ने कहा कि 13 फरवरी 2019 को सुपरवाइजरी कमेटी के सिफारिशों का अवलोकन करने पर यह साफ है कि मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल के साथ बनने वाले इस टर्शरी कैंसर सेंटर का बनना लाजिमी। इसलिए सुपरवाइजरी समीति ने जो नक्शा पास किया है उसे एनजीटी उपरोक्त शर्तो के साथ मंजूरी देता है।

एनजीटी ने 16 नवंबर 2016 के अपने फैसले में राजधानी शिमला में अढाई मंजिल से ऊपर के तमाम निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी और कोर एरिया में आपात सेवाओं के अलावा किसी भी तरह का निर्माण करने पर पांबदी लगा दी थी। चूंकि यह अस्पताल कोर एरिया में था तो और इसका नक्शा पांच मंजिला था। ऐसे में इसके निर्माण पर खतरा मंडरा गया था।

45 करोड़ रुपए के इस सेंटर के लिए केंद्र सरकार से 2016 में 16 करोड़ रुपए आईजीएमसी के पास पहुंच गए थे। अस्पताल ने तमाम एनओसी भी ले ली थी । लेकिन इस बीच योगेंद्र मोहन सेन गुप्त नामक व्यक्ति की याचिका पर नंवबर 2017 में पंचाट का फैसला आ गया और राजधानी में अढाई मंजिल से ऊपर के निर्माण पर पांबदी लग गई।

दिसंबर 2017 में प्रदेश में जयराम सरकार सता में आ गई लेकिन न तो सरकार ने और न ही नौकरशाही ने इस मसले की ओर ध्यान दिया।

आखिर में योगेंद्र मोहन सेन गुप्त ने सरकार से लेकर अस्पताल तक अवगत कराया कि अस्पताल के निर्माण पर पाबंदी नहीं है। लेकिन सरकार नहीं मानी । इस पर आईजीएमसी के कैंसर विभाग के प्रमुख डा. मनीष गुप्ता ने इस अस्पताल की फाइल जुलाई अगस्त में पंचाट की ओर से गठित सुपरवाइजरी कमेटी में जमा करा दी। लेकिन सब काम ढील से होता रहा । 2295 वर्गमीटर के क्षेत्र पर अब लोक निर्माण विभाग ने इस पांच मंजिलें भवन का निर्माण करना है।। 90:10 के अनुपात में बनने वाले इस अस्पताल के लिए 16 करोड़ 52 लाख रुपए आइजीएमसी में जमा हो चुक है जिसमें केंद्र से 14करोड़ 87 लाख व राज्य सरकार के हिस्से की एक करोड़ 65 लाख की रकम शामिल हैं।

एनजीटी से हरी झंडी मिलने के बाद यहां पर निर्माण शुरू होगा व लीनियर एक्सीलेटर मशीन लगा दी जाएगी।

आईजीएमसी में सालाना कैंसर के 22 सौ से 25 सौ के करीब मरीज आ रहे हैं। रोजाना 50 से साठ कैमियो हो रहे हैं। जबकि सौ से 120 तक रोजाना रेडियोथेरेपी हो रही हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के प्रति किया जाएगा जागरूक

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव – 2019 में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए है। इस उद्देश्य के तहत समाज में वरिष्ठ नागरिकों के महत्त्व तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को उठाया जाएगा। मौजूदा तंत्र जैसे की पेंशन योजनाओं के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर तथा स्वयं सेवकों की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त वृद्धाआश्रमों तथा सेवानिवृत क्लबों में विशेष आऊटरिच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 100 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी की भांति रोल मॉडल बनाकार अन्य मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सेवा अर्हता मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने से सम्बन्धित जागरूकता पर विशेष बल दिया जाएगा। सुरक्षा बल कर्मियों के लिए जागरूकता तथा पंजीकरण शिविरों के आयोजन किए गए है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर मतदाताओं को चुनावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव – 2019 में हिमाचल प्रदेश में कुल 51,59,000 मतदाता है, जिनमें से 62,131 सेवा अर्हता मतदाता हैं। इस सूची में 26,45,584 पुरुष, 25,13,357 महिलाएं एवं 59 तृतीय लिंग मतदाता है, जो हिमाचल के 7723 मतदाता केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के समय प्रदेश में कुल 50,25,941 मतदाता थे जिनमें से 37,574 सेवा अर्हता मतदाता थे। वर्ष 2017 में इस सूची में 25,68,761 पुरुष, 24,57,166 महिलाएं एवं 14 तृतीय लिंग मतदाता थे।

पूर्व मुख्य सचिव चौधरी को चार्जशीट करने की IFS चतुर्वेदी की याचिका पर जयराम सरकार का दिलचस्प जवाब

शिमला/शैल। उतराखंड काडर के चर्चित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से गोपनीय दस्तावेजों को उजागर करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी को चार्जशीट करने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर प्रदेश सरकार ने जवाब दे दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जब का यह मामला है तब विनीत चौधरी प्रदेश सरकार में नहीं थे।

वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। ऐसे में सरकार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और वह तब प्रदेश के सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने विनीत चौधरी की ओर से संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ निचली अदालत में दायर की गई मानहानि की अर्जी पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर आज मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने पैरवी की। अब इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी को जवाब देना है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की है।

इस मामले में संजीव चतुर्वेदी ने मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी पार्टी बनाया था। चतुर्वेदी की ओर से दलील दी गई थी कि विनीत चौधरी के नियंत्रण अधिकारी मुख्यमंत्री है, ऐसे में उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए थी।

लेकिन सरकार की ओर से अशोक शर्मा ने इसका विरोध किया और दलील दी कि सरकार को मुख्यमंत्री के जरिए पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव ही पार्टी होते है। महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को बतौर पार्टी हटा दिया गया था। अब मुख्य सचिव ही सरकार की ओर से इस मामले में पार्टी है।

उन्होंने कहा कि अब विनीत चौधरी को जवाब देना है व अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। पिछली बार यह मामला तीन जनवरी 2019 को लगा था व चतुर्वेदी की याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था।

याद रहे पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि की अर्जी दाखिल की थी। इसके खिलाफ चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को यह कह कर खारिज की दिया था कि इस चरण पर अदालत दखल नहीं देगी और याचिका को खारिज कर दिया था। चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी । सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को वापस हाईकोर्ट भेज दिया व साथ ही इस मामले को पूरे कारणों के साथ निपटाने के आदेश दिए। इस बीच चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य सचिव को अर्जी भेजी की विनीत चौधरी को चार्जशीट किया जाए क्योंकि उन्होंने गुप्त चिटिठयों को उजागर किया है। लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर दी।

याद रहे कि संजीव चतुर्वेदी ने एम्स दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए विनीत चौधरी के भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए गए थे। उस दौरान मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चतुर्वेदी को एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाने का मोर्चा खोल दिया था।

याद रहे संजीव चतुर्वेदी हरियाणा काडर के आईएफएस अधिकारी थे। उन्होंने वहां भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए व उनके खिलाफ हुड्डा सरकार ने मोर्चा खोल दिया। अब वह उतराखंड सरकार में हल्दवानी में तैनात है और वहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए है।

हिमाचल के फोटोग्राफर प्रकाश बादल की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में शामिल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर प्रकाश बादल ने देश के अग्रणी फोटोग्राफरों में अपना स्थान बनाने में एक और मील पत्थर हासिल किया है। देश की प्रमुख वाईल्ड लाईफ एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने उनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए चुना है। प्रकाश बादल को बर्ड एंड वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी क्लब के प्रशासक

तापस खानरा और उत्तम दास ने 3,4 एवं 5 मई को कोलकाता के अबुल रसूल एवेन्यू स्थित आर्ट गैलरी में उनकी तस्वीरों के शुमार होने की सूचना दी है। इस प्रदर्शनी में प्रकाश बादल सहित देश भर के 100 फोटोग्राफरों के चित्रों को चुना गया है। इस अवसर पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चर्चित फोटोग्राफी क्लब 'फोटोआरबिट' द्वारा भी कोलकता में हो रही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रकाश के चित्रों को स्थान मिला है। यह प्रदर्शनी 27, 28 और 29 अप्रैल 2019 को कोलकता में आयोजित की जा रही है। इससे पहले भी प्रकाश बादल को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा उनकी वन्यप्राणी फोटोग्राफी के द्वारा पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सम्मानित किया गया है और उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रकाश के खींचे गए चित्रों को उत्तराखंड वन विभाग के विश्राम गृहों में उनके द्वारा खींचे गए पक्षियों के चित्रों को लगाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा भी प्रकाश द्वारा खींची गयी तस्वीरों की सराहना की विगत वर्ष सराहना की गई है। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल से सम्बन्ध रखने वाले प्रकाश बादल हिमाचल वन विभाग में कार्यरत हैं और गत कुछ वर्षो से उन्होंने वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी के माध्यम से देश भर में न केवल अपना स्थान बनाया है बल्कि देश भर में हिमाचल प्रदेश का नाम भी रौशन किया है।

चुनाव के दौरान विज्ञापनों का प्रमाणीकरण आवश्यक

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव – 2019 के तहत राजनीतिक दलों, समूह या प्रत्याशी को आवश्यक तौर पर सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति से आवश्यक अनुमोदन लेना जरूरी होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि सोलन जिला मुख्यालय स्थित जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व कहा कि समिति द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक विज्ञापनों के प्रारूप और पेड न्यूज का अवलोकन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया प्रमाणन का मूल उद्देश्य आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से जुड़ा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका, तनाव बढ़ाने वाला, नैतिकता सदाचार के विपरीत और किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और दो प्रतियों में उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व संबंधित मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।

नकदी–शराब के वितरण पर रहेगी उड़न दस्तों की पैनी नजर

रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मण्डी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर उड़न दस्तों के जरिये नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत के तौर पर इस प्रकार की वस्तुओं का वितरण दण्डनीय अपराध है। प्रत्येक पुलिस थाने के अधीन बनाए गए उड़न दस्ते ऐसी हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, वह उस राशि के स्रोत्र और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी ले जाने के मामलों में व्यक्ति पैन कार्ड अथवा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक या बैंक विवरणी की प्रति, नियमित लेन–देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमन्त्रण पत्र, अस्पताल में उपचार के लिए प्रयोग जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग के प्रमाण दिखाए जाने चाहिए।

जैसे एक बछड़ा हजारो गायों के झुंड मे भी अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं.............. ''चाणक्य''

सम्पादकीय

वायदों के आईने में सरकार

चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण में आने वाली सीटों के लिये उम्मीदवारों का चयन भी राजनीतिक दलों द्वारा कर लिया गया है। लेकिन यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जायेगा यह अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है। सामान्यत: हर चुनाव में सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो भी सरकार सत्ता में रही है उसका काम काज कैसा रहा है। क्योंकि यह सरकार और उसकी पार्टी अपने काम काज के आधार पर पुन: सत्ता में वापसी की गुहार जनता से लगाती है। इस नजरीये से सरकार की जिम्मेदारी भाजपा के पास रही है। इसलिये सबसे पहले उसी के काम काज का आंकलन किया जाना स्वभाविक और अनिवार्य है। 2014 में जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तब सत्ता यूपीए सरकार के पास थी। उस समय यूपीए सरकार पर कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। कई मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे थे और शीर्ष अदालत के निर्देशों पर इन मुद्दों पर जांच भी हुई थी। इस जांच के चलते कई वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता/मन्त्री और कारपोरेट जगत के लोग जेल तक गये थे। भ्रष्टाचार के इन्ही आरोपों के परिणामस्वरूप अन्ना हजारे का जनान्दोलन लोकपाल को लेकर सामने आया। इस पृष्ठभूमि में जब चुनाव हुए तो भाजपा को प्रचण्ड बहुमत मिला। इन चुनावों में भाजपा ने देश से कुछ वायदे किये थे। इन वायदों में मुख्यत: हर व्यक्ति के खाते में पन्द्रह पन्द्रह लाख रूपये आने, राम मन्दिर बनाने, जम्मूकश्मीर से धारा 370 हटाने, दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने, मंहगाई पर लगाम लगाने आदि शामिल थे। इन्ही वायदों के सहारे आम आदमी को अच्छे दिन आने का सपना दिखाया गया था। इन वायदों को पूरा करने के लिये केवल साठ माह का समय मांगा गया था।

इसलिये आज सबसे पहले इन्ही दावों की हकीकत पर नजर दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। जिस लोकपाल के लिये अन्ना ने आन्दोलन किया था वह लोकपाल अभी तक 'साकार रूप नही ले सका है। जबकि लोकपाल विधेयक उसी दौरान पारित हो गया था। भ्रष्टाचार के जो मामले उस समय अदालत तक पहुंच गये थे उनमें से एक में भी इस सरकार में किसी को सजा नही मिल पायी है बल्कि 176,000 करोड़ के 2जी मामले में तो अब यह आ गया कि यह घोटाला हुआ ही नही है। भ्रष्टाचार का एक भी मामला इस सरकार के कार्यकाल में अन्तिम अन्जाम तक नही पंहुचा है। उल्टा इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में ही संशोधन करके उसकी धार को ही कुन्द कर दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सिन्द्धात रूप में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कारवाई नही करना चाहती है। भाजपा की इस मानसिकता का पता हिमाचल की जयराम सरकार के आचरण से भी लग जाता है। जब इस सरकार ने विपक्ष में रहते कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपे अपने ही आरोपपत्र पर कोई कारवाई न करने का फैसला लिया है।

इसी तरह कालेधन के जो आंकड़े 2014 देष को परोसे जा रहे थे और उन्ही आंकड़ो के भरोसे आम आदमी को विश्वास दिलाया गया था कि उसके खाते में इस कालेधन की वापसी से पन्द्रह लाख पहुंच जायेंगे। लेकिन जब इस कालेधन पर हाथ डालने के लिये नोटबन्दी लागू की गयी तब 99.3% पुराने नोट आरबीआई के पास पहुंच गये। पुराने नोटों की इस वापसी ने न केवल सरकार के कालेधन के आकलन पर सवालिया निशान लगा दिया बल्कि नोटबन्दी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाने के दावे को भी हास्यस्पद सिद्ध कर दिया। आज तक कालेधन के एक भी मामले पर कोई प्रमाणिक कारवाई सामने नही आई है। उल्टा यह नोटबन्दी का फैसला ही कई गंभीर सवालों में घिर गया हैं विषेशज्ञों के मुताबिक नोटबन्दी के फैसले के कारण ही देश के कर्जभार पर इस शासनकाल में 49% की बढ़ौत्तरी हुई है। यही नहीं आज सरकार ने जो एफडीआई का दरवाजा हर क्षेत्र के लिये खोल दिया है उसके कारण हमारा आयात तो बहुत बढ़ गया है लेकिन इसके मुकाबले में निर्यात आधे से भी कम रह गया है। आर्थिक स्थिति के जानकारों के मुताबिक यह नीति किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के लिये एक बहुत बड़ा संकट बन जाती है। किसी समय स्वदेशी जागरण मंच के झण्डे तले एफडीआई का विरोध करने वाले आरएसएस की इस चुप्पी कई सवाल खड़े कर जाती है क्योंकि यह एक ऐसा पक्ष है जिसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।

इसी के साथ जब 2014 के मुकाबले आज मंहगाई और बेरोजगारी का आंकलन किया जाये तो इस मुहाने पर भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बेहद निराशाजनक है। सरकार हर काम हर सेवा आऊट सोर्स के माध्यम से करवा रही है। आऊट सोर्स का अर्थ है कि हर काम ठेकेदार के माध्यम से करवाना और ठेकेदार की कहीं सीधी जिम्मेदारी नहीं उसके काम की शिकायत पर केवल उसका ठेका ही रद्द किया जा सकता है इससे अधिक कोई कारवाई उसके खिलाफ संभव नही है। इसी आऊट सोर्सिंग के कारण सरकार का दो करोड़ नौकरियों का दावा हवा – हवाई होकर रह गया है। मंहगाई के नाम पर एकदम रसोई गैस के दाम हर आदमी को सोचने पर विवश कर देते हैं कि ऐसा क्यों है इसका कोई सन्तोषजनक जवाब भाजपा नेतृत्व के पास नही है। फिर यह सवाल तो इसी नेतृत्व से पूछे जाने हैं क्योंकि इसी ने यह वायदा किया था कि वह साठ महीने में इन समस्याओं से निजात दिला देगा लेकिन ऐसा हो नही पाया है।

जबकि दूसरी ओर आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं यदि वहां पर जनता से किये गये वायदों का आंकलन किया जाये तो सबसे पहले वहां पर किसानों से किये गये कर्जमाफी के वायदे की ओर ध्यान जाता है। इस पर यह सामने आता है कि जिस प्रमुखता से यह वायदा किया गया था उसी प्रमुखता के साथ इस पर अमल भी कर दिया गया है। इसलिये आज कांग्रेस गरीब अदामी के लिये जो न्यूनतम आय गांरटी योजना की बात कर रही है उसपर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नही आता है। इस तरह के बहुत सारे वायदे और सवाल है जिन पर इस चुनाव में खुलकर चर्चा अगले अंको में की जायेगी। क्योंकि सरकार राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही बसह को दबाने का प्रयास कर रही है।

एक पादरी की ऐसी कहानी जिसे जानकर आपकी रूह कांप जायेगी

गौतम चौधरी

मैं जालंधर के एक अखबार में काम कर रहा था। उन दिनों एक बड़ी खबर आयी कि चर्च के किसी पादरी ने चर्च के साथ जुड़ी एक नन का रेप किया है। उस नन ने उक्त पादरी के खिलाफ केस किया है। खबर हमारे यहां भी छपी। चूकि उक्त पादरी के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने उस खबर पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात पादरी का नाम कुछ दक्षिण भारतीय टाइप का था इसलिए मेरे मन में आया कि मामला दक्षिण भारत से संबद्ध होगा लेकिन मेरे अखबारी मित्र विकास शर्मा ने बताया कि यह पादरी बेशक केरल का है लेकिन इसके साम्राज्य पंजाब में है। इसके तुरंत बाद 22 अक्टूबर 2018, रविवार के दिन इसी से संबंधित एक और बड़ी खबर आयी। पंजाब के होशियारपुर जिले के दसुया के स्थानीय कैथलिक चर्च के एक पादरी की मौत हो गयी। मौत के इस मामले में पुलिस अपनी जांच आज भी कर रही है लेकिन जानकार बताते हैं कि मामला मुकम्मल तौर पर रहस्यमय है। 62 साल के कुरीकोज कट्टुथरा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक पादरी जालंधर प्रांत में 1983 से अपनी सेवा दे रहे थे। आम परस्थितियों में कट्टुथरा की मौत को सामान्य मान लिया गया है लेकिन स्थितिजन्य साक्ष्य रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियां आम नहीं है।

दरअसल, एक महीने पहले जालंधर प्रांत के 54 साल के पादरी फैंको मुलक्कल को रेप के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। रेप के आरोप में भारत में गिरफ्तार होने वाले वे पहले पादरी हैं। मुलक्कल को एक नन की शिकायत के 85 दिनों बाद गिरफ्तार किया गया। पीड़ित नन, मिशनरी ऑफ जीजस से जुड़ी हुई थी। यह जालंधर धर्म प्रांत की एक मण्डली है। नन ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि मुलक्कल ने उसके साथ 13 बार यौन हिंसा की तथा उसे यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा है। इस मामले में मृतक पादरी कट्टुथरा मुख्य गवाह थे। इसलिए भी इस केस को सामान्य नहीं माना जा रहा है।

केरल में 25 दिन जेल में बिताने के बाद मुलक्कल को रिहा कर दिया गया। जालंधर लौटने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। इस मामले में उनके विरोधी कहते हैं कि यह कोई स्वागत-वागत नहीं था। इस आधार पर मुलक्कल ने अपनी ताकत दिखाई और उसके बाद पादरी की मौत से यह भी साबित हो गया कि जो पादरी मुलक्कल का विरोध करेगा उसकी यही दुर्गति होगी। कट्टुथरा की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट समाने आई है। इसे दसुया सिविल हास्पिटल के चार सरकारी डॉक्टरों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच तैयार किया है। इस मौत को सामान्य नहीं बताया गया है। उन दिनों के अखबार को आप पढ़े तो मौत के रहस्य की बात साफ-साफ झलकने वाली खबर देखने को मिलेगी। आंत से मिले सैंपलों का केमिकल जांच होना बाकी है। विरोधी तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि मुलक्कल अपनी राजनीतिक पहुंच का लाभ उठाकर इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि मुलक्कल वर्तमान केन्द्र सरकार के साथ बेहद नजदीकी से जुड़े हैं इसलिए उनके खिलाफ कुछ भी होना संभव नहीं है। यहां तक कि वे आरोपमुक्त हो जाएंगे और उन्हें एक बार फिर धर्म प्रांत का मुखिया बना दिया जाएगा। वैसे कहने के लिए कोई और मुखिया होगा लेकिन नियंत्रण आज भी मुलक्कल के पास में ही है।

केरल पुलिस ने मुलक्कल को 21 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। 25 दिन जेल में बिताने के बाद आरोपी को बेल पर रिहा कर दिया गया। मुलक्कल के साम्राज्य के बारे में चर्चा यहां जरूरी है। इससे यह पता चल पाएगा कि आखिर किस प्रकार रजनीति और धर्म का तालमेल है। इससे यह भी पता चल पाएगा कि दिखाने के लिए चाहे जो भी किया जाए लेकिन आर्थिक हित और राजनीतिक हित जहां भी सधता है प्रभु वर्ग के लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि चर्च भारत में किस प्रकार से काम कर रहा है और यह अपनी संपत्ति का विस्तार किस प्रकार कर रहा है। मसलन जानकार बताते हैं कि जब जालंधर धर्म प्रांत का गठन किया गया था तो शुरुआती सालों में यह कर्ज में था लेकिन 1980 से 1990 तक इसने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में चर्च के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गयी। आज इस प्रांत के चर्च के पास अरबों की संपत्ति है। साथ ही कई कंपनियां भी है, जो फायदे में चल रही हैं। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि इन कंपनियों में पंजाब के कई नामचीन व्यापारी और नेताओं के साथ ही साथ कई ब्यूरोक्रेट के पैसे लगे हुए हैं। यह विस्तार मुलक्कल के कार्यभार संभालने के बाद हुआ है। चर्च ने सहोदय नाम की एक निर्माण कंपनी बना रखी है। इसके बाद चर्च के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है जो स्कूलों के लिए बस चलाती है और सुरक्षा सेवा भी देती है। धर्मांतरण के लिए चर्च इन कंपनियों का बेहतर उपयोग करता है।

मुलक्कल की राजनीतिक पहुंच के बारे में बताया जाता है कि उनकी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ बादल गुट वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ भी है। भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 2009 में दिल्ली आर्कडायसिस के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान मुलक्कल के चीफ गेस्ट बने थे। उसी समय से मुलक्कल भाजपा के निकट हैं। कांरवा मैग्जिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल के खास मंत्री अल्फांसो कन्नाथनम को मुलक्कल की पैरवी पर ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गयी है। हालांकि चर्च इस बात से इन्कार करता है।

कुल मिलाकर देखें तो विपरीत धर्म और विचारधारा के लोग आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर एक साथ आ जाते हैं लेकिन समाज में वही विभेद पैदा करते हैं। ईसाई मिशनरियों का पानी पी-पी कर गाली देने वाली भाजपा किस तरह मुलक्कल के मामले में लचीला रवैया अपना रही है इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए समाज के आम लोगों को इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।

तो इसलिए दुनियाभर में भारतीय मुसलमानों की बोलती है तूती

''कल्लीमुल्ला खान''

विगत दिनों मैं बीबीसी के हिन्दी वेबपेज पर प्रकाशित एक लेख पढ़ रहा था। लेख का शीर्षक बेहद रोचका था। मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूं। बीबीसी ने बताने की कोशिश की है कि दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा समझदार हिन्दुस्तान का मुसलमान है। मैं इस व्याख्या से शतप्रतिशत सहमत हूं। यह इसलिए भी कि हिन्दुस्तान की संस्कृति के साथ यहां के मुसलमानों ने अपना संबंध स्थापित कर लिया है। मेरा तो यहां तक मानना है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने केवल यहां की संस्कृति के साथ अपने को जोड़ा ही नहीं है अपितु उस जुड़ाव से एक नई और बेहतर संस्कृति को जन्म देने की कोशिश की है। आज मैं आपको बताउंगा कि भारतीय मुसलमानों के नायक कभी कट्टरवादी मुसलमान नहीं रहे। इस देश के मुसलमानों ने जाकिर नाइक को कभी अपना धार्मिक नेता नहीं माना। यहां के मुसलमानों ने मैलाना दरियाबादी को नेताओं को अपना नेता माना, जिन्होंने सदा समन्वयवाद और साम्प्रदायिक सौहार्द की बात कही एवं अपने जीवन में उसे उतार कर दिखाया। आज कुछ इसी प्रकार के राष्ट्रीय मुस्लिम नायकों से आपका परिचय कराएंगे।

मार्च 16, 1892 को बाराबंकी उत्तर प्रदेश में एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी स्कॉलर मैलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी का जन्म हुआ था। दरियाबादी का कुरान और हदीस पर बराबर का अधिकार था। किदवई की उपाधि से विख्यात उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में अपने सहयोग और अंग्रेजों के खिलाफ उनके दादा मुफ्ती मजहर करीम द्वारा दिए गए फतवे के कारण दरियाबादी के दादा को काले–पानी की सजा दे दी गयी थी। इस कारण भी दरियाबादी को जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के आहवान पर इन्होंने माओ एवं सेंट स्टीफन कॉलेज में की जा रही अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता–आन्दोलन में शामिल हो गए। दरअसल, उन्हें कुरान पर अंग्रेजी में लिखी अपनी कमेंटरी के अलावा साहित्य में किए गए अन्य योगदान के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं दरियाबादी को लखनउ–पद्धति में लिखने के लिए भी जाना जाता है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी सूफीवाद के चिश्ती–तरीक से जुड़े थे। वे एक ऐसे तर्कवादी मुस्लिम थे जो समाजिक सम्मिश्रण व धार्मिक जातियों के मध्य सौहार्द में विश्वास करते थे।

इसी करी में दूसरा नाम आता है मौलाना शौकत अली का। भारतीय स्वतंत्रता संग्रसम के सेनानी मौलाना शौकत अली का जन्म 10 मार्च सन् 1873 में हुआ था। उनका जन्म तत्कालीन रामपुर रियासत, हाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। अली अपने छोटे भाई मोहम्मद अली जौहर जैसे प्रसिद्ध नेता के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन में बढ–चढ कर हिस्सा लिया। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अवध और आगरा के संयुक्त राज्यों की सिविल सेवाओं में भी कार्य किया। सन् 1919 में शौकत अली को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कथित भड़काउ सामग्री प्रकाशित करने व उनके खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। सन् 1919 से 1920 तक उन्हें दोबारा महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके अलावा उन्होंने लंदन में सन् 1930 व 1931 में पहली व दूसरी गोलमेज मीटिंग में हिस्सा लिया। वे सच्चिदानंद सान्याल की अगुआई में कार्य करने वाले कई भारतीय क्रांतिकारियों के समूह का हिस्सा बने और अपने इन साथियों को ब्रिटिश हुकूमत व उनके संस्थानों पर हमले करने के लिए कई बार हथियार भी उपलब्ध कराया। महान स्वतंत्रता सेनानी अली नवंबर 16, 1938 को करोल बाग, दिल्ली में अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्हें जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट ही दफनाया गया। शौकत अली का नाम स्वतंत्रा संग्राम आंदोलन के इतिहास में हमाशा ही हिन्दू–मुस्लिम को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने के लिए याद किया जाएगा।

प्रोफेसर अब्दुल बारी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद और सुभाष चन्द्र बोस जैसे उन अग्रणी नेताओं के साथ कार्य किया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को स्वतंत्रता, साम्प्रदायिक सद्भावना, लिंग समानता तथा समाजिक समानता जैसे मुद्दों पर जागरूक करने में लगाया। बिहार के जहांनाबाद जिले में सन् 1892 में जन्म लेने के बाद प्रो. बारी ने पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और बाद में नेशलन कॉलेज, पटना के प्रिंसिपल डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के मातहत ही बतौर प्रोफेसर ज्वाइन किया। गांधी जी के आहवान पर जो उस वक्त उड़ीसा, बंगाल और बिहार में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, ये भी उनके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। प्रोफेसर बारी ने सुभाष चन्द्र बोस के मार्गदर्शन में जमशेदपुर लेबर यूनियन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। वे चंपारण से विधायक और बिहार असैम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रहे। उन्होंने जीवनपर्यन्त सांप्रदायिक सद्भावना, अंतरधार्मिक–जुड़ाव, लिंग समानता तथा शिक्षा हेतु लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अन्ततः मार्च 28, 1947 को इनके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। बिहार में कई शिक्षण संस्थाओं, पार्कों, तकनीकी केन्द्रों, रेलवे व सड़कों पर निर्मित पुलों का नामाकरण अब्दुल बारी के नाम पर किया गया है। उन्हें सदा ही समाजिक सुधार व सांप्रदायिक एकता के सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में याद किया जाएगा।

बारी की तरह ही कर्नल अहमद भी बिहार के ही रहने वाले थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने में इंडियन नेशनल आर्मी में एक अहम रोल अदा किया और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। उनका जन्म बिहार के पटना में 19 मार्च, सन् 1920 में हुआ था। उन्होंने आईएमए, देहरादून से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन् 1939 में अंग्रेजी सेना में बतौर कैप्टन ज्वाइन किया। किन्तु देश की आजादी के प्रति समर्पण दिखाते हुए उन्होंने यह पद छोड़ते दिया और आईएनए में बतौर कर्नल का पद ग्रहण कर लिया। कर्नल अहमद ने सुभाष चन्द्र बोस के सेना–सचिव के तौर पर भी कार्य किया। आईएनए के बुरे वक्त में उन्होंने चौबीसों घंटे कार्य करते हुए अपने साथी सिपाहियों को खाना, यूनिफॉर्म मुहैया करवाई तथा बीमार व जख्मी साथियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई। इस प्रकार वे सुभाष चन्द्र बोस के एक विश्वासपात्र साथी के रूप में उभर कर सामने आए। बहरहाल, गिरफ्तार होने के बाद कर्नल अहमद के उपर लालकिले में मुकद्दमा चलाया गया। आजादी के बाद उन्हें इराक में बतौर राजनयिक के तौर पर नियुद्र किया गया, जहां उन्होंने हिन्दुस्तान के लिए वेहतर काम किया। सेवानिवृत होने के बाद महबूब अहमद पटना में बस गए किन्तु वे जीवन–पर्यन्त सक्रिय रहे। 9 जनवरी 1992 को वे अल्लाह को प्यारे हो गए। कर्नल अहमद द्वारा कहे गए शब्द ''अगर मुझे हजार जन्म मिलते तो मैं उन सभी जन्मों में सुभाष चन्द्र बोस को उनकी लक्ष्य–प्राप्ति के लिए समर्पित कर देता'' उनके राष्ट्र के प्रति उच्चतम समर्पण को दर्शाते हैं, जो धार्मिक भेदभाव से उपर उठते हुए प्रत्येक भारतीय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सचमुच भारतीय मुसलमान बेहद समझदार होते हैं। यही कारण है कि जहां एक ओर दुनियाभर के मुसलमान किसी न किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए दिख रहे हैं वहीं भारतीय मुसलमान स्वतंत्रता और आजादी के उच्चतम सिद्धांतों का यहां आनंद उठा रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। छिटफुट घटनाओं को छोड़ दें तो दुनिया के मुसलमानों की तुलना में भारत के मुसलमान शांति में अपना जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे का एक मात्र कारण भारतीय मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं। वे समन्वयवादी हैं और इस्लाम के रहस्यवाद, सूफीवाद में विश्वास करते हैं।

2019 में मतदाताओं की संख्या के आंकड़े

उपलब्ध प्रकाशित मतदाता सूची–2019 के अनुसार इस समय देश में 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 15064824 है। अब तक 99.36 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा समय देश में जनसंख्या–मतदाता औसत 631 और पुरुष/महिला मतदाता औसत 958 है।

ELECTORAL ROLL DATA - 2019

S. No.	Name of State/UT	No. of General & Overseas electors in final roll 2019			
		Male	Female	Third Gender	Total
1	2	3	4	5	6
1	Andhra Pradesh	18324588	18604742	3761	36933091
2	Arunachal Pradesh	392612	401691		794303
3	Assam	11132782	10627822		21760604
4	Bihar	37307904	33293468	2406	70603778
5	Chhattisgarh	9477822	9438463		18916285
6	Goa	551597	575135		1126732
7	Gujarat	23255906	21487885	1053	44744844
8	Haryana	9306532	8048715		17355247
9	Himachal Pradesh	2584196	2512673		5096869
10	Jammu & Kashmir	4037993	3739951		7777944
11	Jharkhand	11507697	10473475		21981172
12	Karnataka	25455117	24852065		50307182
13	Kerala	12297403	13111189	119	25408711
14	Madhya Pradesh	26778268	24622329	1423	51402020
15	Maharashtra	45701877	41625950	2083	87329910
16	Manipur	939926	990960	26	1930912
17	Meghalaya	936578	956136	2	1892716
18	Mizoram	381991	402408	6	784405
19	Nagaland	606173	596134		1202307
20	Odisha	16337310	15460545	2932	31800787
21	Punjab	10754157	9619711	507	20374375
22	Rajasthan	25264998	23214231	0	48479229
23	Sikkim	216222	207103		423325
24	Tamil Nadu	29256960	29860765	5472	59123197
25	Tripura	1317163	1281127		2598290
26	Uttarakhand	3984327	3643969	230	7628526
27	Uttar Pradesh	77941577	66111941	8374	144061892
28	West Bengal	35785552	33978032	1426	69765010
29	A & N Islands	154829	139595	11	294435
30	Chandigarh	327913	291352		619265
31	D & N Haveli	127628	113230		240858
32	Daman & Diu	59977	59700		119677
33	Lakshadweep	27475	26791		54266
34	NCT of Delhi	7556146	6139145		13695291
35	Puducherry	453153	506320	93	959566
36	Telangana	14842619	14674977	1368	29518964
TOTAL		**465384968**	**431689725**	**31292**	**897105985**
	No. of Service electors	1619893	43100	0	1662993
Grand Total		**467004861**	**431732825**	**31292**	**898768978**

Data of 18-19 Age group electors for 2019

S. No.	Name of State/UT	Summary Revision, 2019
1	2	6
1	ANDHRA PRADESH	539804
2	ARUNACHAL PRADESH	27342
3	ASSAM	706489
4	BIHAR	579035
5	CHHATTISGARH	460394
6	GOA	23768
7	GUJARAT	768745
8	HARYANA	139821
9	HIMACHAL PRADESH	88127
10	JAMMU & KASHMIR	182182
11	JHARKHAND	220724
12	KARNATAKA	712606
13	KERALA	261778
14	MADHYA PRADESH	1360554
15	MAHARASHTHRA	1199527
16	MANIPUR	28614
17	MEGHALAYA	76782
18	MIZORAM	52556
19	NAGALAND	19171
20	ODISHA	545401
21	PUNJAB	255887
22	RAJASTHAN	1282118
23	SIKKIM	20246
24	TAMIL NADU	898759
25	TELANGANA ##	599933
26	TRIPURA	69322
27	UTTARAKHAND	85673
28	UTTAR PRADESH	1675567
29	WEST BENGAL	2001898
30	A & N ISLANDS	4462
31	CHANDIGARH	12094
32	DAMAN & DIU	16466
33	D & N HAVELI	23290
34	NCT OF DELHI	97684
35	LAKSHADWEEP	2337
36	PUDUCHERRY	25668
	TOTAL	15064824

पसूका

लोस चुनाव में 99 नाकों पर लगेंगे सी सी टीवी कैमरे

चुनावों पर 75 करोड़ खर्च होने का अनुमान

शिमला/शैल। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर 99 नाकों को चिन्हित किया जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर चुनावों में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जाएगी।

मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्याम भगत सिंह नेगी ने राजधानी में आयोजित साझे सम्मेलन में यह जानकारी दी। नेगी ने कहा कि अभी तक 40 नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए है और बाकियों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को हिस्ट्री शीटरों, बदमाशों और भगौड़ों की सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा 31 मार्च तक तमाम लाइसेंस शुदा हथियारों को थानों में जमा कराने के निर्देश दिए है।

मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि बाहरी राज्यों व राज्य के भीतर चुनावों को प्रभावित करने के लिए नगदी के प्रवाह पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय से संपर्क किया गया है। इसके लिए प्रदेश के तीन हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर आयकर विभाग के अधिकारी नजर रखेगें। इसके अलावा फलाइंग स्कवायड भी मैदान में उतरेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य में आचार संहिता का उल्लंघन रोकने व चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 206 फ्लाइंग स्कवायड गठित किए गए हैं। इसके अलावा 13 दल आचार संहिता समिति के और 17 वीडियों निगरानी टीमें गठित की है। इन सभी टीमों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है।

प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के 22 अप्रैल से नामांकन भरे जा सकेंगे। 29 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी। नामांकनों की छंटनी 30 अप्रैल को होगी और दो मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। देवेश कुमार ने कहा कि 19 मई को मतदान है और 23 को मतगणना के बाद नतीजे निकलेंगे व 27 मई तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी तक 51 लाख 59 हजार मत बने हुए है। इनमें से सेना, अर्धसैनिक बलों में से 61401 मतदाता है। 19 अप्रैल तक कोई वोट बनाएं जा सकते है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाता 88127 है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिए 7723 मतदान केंद्र होंगे इनमें से 367 संवेदनशील व 950 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम व वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा व 7723 ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी व इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए है।

देवेश कुमार ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी मंत्री और अधिकारी किसी भी तरह की वितीय मंजूरी या किसी तरह का आश्वासन नहीं कर पाएंगे। न ही वो किसी भी तरह की परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशीला रख पाएंगे। वह सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि का वादा नहीं कर पाएंगे और न ही सार्वजनिक उपक्रमों में किसी तरह की तदर्थ नियुक्तियां कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने साफ किया कि अगर नियुक्तियों को लेकर कोई प्रक्रिया चली हुई है तो वह जारी रह सकती है लेकिन परिणाम नहीं निकाला जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि सभी जिला के जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकर में चल रहे किसी भी तरह के निर्माण कार्यो को लेकर रिपोर्ट राज्य चुनाव अधिकारी को सौंपे। प्लास्टिक के पोस्टर व बैनर लगाने पर पांबदी लगा दी गई है। यही नहीं मंत्रियों, बोर्डो, निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को आचार संहिता के दौरान वाहनों के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अलावा जनता सी विजिवल एप के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीरें व वीडियो भेज कर शिकायतें कर सकते है व चुनाव अधिकारियों को ई शिकायतों पर सौ मिनट के भीतर कार्यवाही शुरू करनी होगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नबंर 1950 के जरिए भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इसमें नंबर के आगे जिला व राज्य का कोड लगाना होगा।

जिला लाहुल स्पिति में हिक्किम मतदान केंद्र सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है यह समंदर तल से 14567 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लाहुल स्पिति के ही किंगर मतदान केंद्र में सबसे कम 37 मतदाता है जबकि ऊना के संतोखगढ़ मतदान केंद्र में सबसे ज्यादा 1359 मतदाता है।

देवेश कुमार ने कहा कि जिला कुल्लू के बंजार में स्थिति शक्ति मतदान केंद्र एकमात्र ऐसा मतदान केंद्र हैं जहां पर चुनाव दल को 20 किलोमीटर पैदल चलना होगा।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों की 42 कंपनियों की मांग की है। इसमें से आईटीबीपी की एक कंपनी हिमाचल पहुंच गई है और उनकी तैनाती के प्लान को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। एडीजीपी कानून व्यवस्था श्याम भगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल पुलिस के साढ़े बारह हजार जवान व अधिकारी और 65 सौ होमगार्ड के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा सुरक्षा बलों की 42 कंपनियां अलग से मांगी गई हैं। इन चुनावों में 45725 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर 75 करोड़ रुपए के करीब खर्च आने की अनुमान है। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि हालांकि असली आंकड़ा चुनाव समाप्त होने के बाद ही सामने आएगा।

परवाणु औद्योगिक क्षेत्र में परस्पर विवाद के समाधान को लेकर अंतरिम प्रशासनिक निकाय ने शुरू की कवायद

उपायुक्त ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के प्रतिनिधियों से की बैठकें

वाहनों के दैनिक संचालन को सुनिश्चित करेगा निकाय

विवाद से हुए नुकसान के दावे को लेकर 1 सप्ताह के भीतर की जा सकेगी रिपोर्ट

शिमला/शैल। सोलन जिले के औद्योगिक परवाणु क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनियों के परस्पर विवाद के चलते वाहनों के दैनिक संचालन में आने वाली बाधाओं और उससे वाहन मालिकों, श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों को हुए नुकसान के आकलन के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल की अध्यक्षता में गठित अंतरिम प्रशासनिक निकाय ने कवायद शुरू कर दी है। निकाय में सदस्यों के तौर पर सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) परवाणु, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीएसपीपरवाणु, श्रम अधिकारी और सदस्य सचिव सिंगल विंडो क्लीयरेंस शामिल हैं।

विवाद के हल और नुकसान के आकलन को लेकर उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी स्वयं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बाकायदा बैठकें की। उन्होंने अंतरिम प्रशासनिक निकाय के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विवाद के परिणाम स्वरूप वाहन मालिकों, श्रमिकों व इंडस्ट्रियल यूनियन को जो नुकसान हुआ है उसका जल्द आंकलन हो। जिनको नुकसान हुआ है वे तथ्यों के साथ अपने दावे की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सदस्य सचिव सिंगल विंडो क्लीयरेंस उद्योग विभाग परवाणु को दे सकते हैं। ताकि उसी के अनुरूप उच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कानूनन और नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने का हकदार है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि विवाद के समाधान और नुकसान के आकलन के लिए एक सप्ताह के भीतर तथ्यों सहित नुकसान की रिपोर्ट सिंगल विंडो क्लीयरेंस कार्यालय परवाणु में जमा करवाने को लेकर पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है।

साईबर अपराध पर शिमला में दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

शिमला/शैल। भारतवर्ष विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा Internet user राष्ट्र है। साईबर अपराध के शिकार होने का महत्वपूर्ण कारण सोशल मिडिया पर अपनी निजी सूचना शेयर करना एंव अपने बैंक पर खातों ATM Card से सम्बधित सूचना अपराधी (फ्राड व्यक्तियों) को शेयर करना है। सोशल मिडिया के माध्यम से विदेशी युवको व महिला से Whatsapp, Facebook एंव Instagram के माध्यम से चैट करना करके दोस्ती एवं शादी का झांसा दिया जाता है उसके पश्चात विदेशी बनकर वह लोगों को कोई मूल्यवान वस्तु एंव विदेशी करंन्सी गिफ्ट को तौर पर भेजने की बात करते हैं। उसके बद्दी के अनवेष्णाधिकारियो के लिए दिनांक 15.03.2019 से 16.03.2019 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण (Training) साईबर क्राईम पर शिमला पुलिस लाईन कैन्थु मे आयोजन किया गया । इस दो दिवसीय ट्रैनिंग में दक्षिण खण्ड जिलों से 25 अनवेष्णाधिकारियो ने भाग लिया। इस अवसर पर जय प्रकाश विश्वविद्यालय (J.P.University) सोलन, Jio Network के नोडल अधीकारी, Jio Network की EÛpert Team के सदस्य व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आये प्रवक्ताओं ने साईबर अपराध पर लेकचर दिया । इसके अलावा पुलिस अधीक्षक साईबर क्राईम संदीप धवल, उप-पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर

पश्चात Indian Airport एंव Custom office के नाम से Fraud Call की जाती है तथा ये लोग पार्सल छुडाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी पीडित व्यक्ति से करते हैं। इस प्रकार की शिकायतें साईबर थाना में आई है जिस की जांच चल रही है।

उपरोक्त साईबर अपराध को अपराधी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर के अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य गुप्तचर विभाग (CID) द्वारा साईबर अपराध थाना शिमला के माध्यम से दक्षिण खण्ड (Southern Range) जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर व पुलिस जिला व साईबर अपराध थाना शिमला से अन्य टेकनीकल स्टाफ ने भी साईबर अपराध पर Presentation दिया । इस प्रशीक्षण के माध्यम से अन्वेषण कर्ताओ को महत्वपूर्ण जानकारी, E-Mail, IP Address Tracking, CDR, IPDR व अन्य महत्वपूर्ण रोकार्ड को विश्लेषण करने की जानकारी दी गई । इसके इलावा भिन्न TSPs, Payment Gateways , Banker व अन्य Agency में कैसे डाटा हासिल करना है और रिकार्ड को कैसे विश्लेषण करना है तथा अदालत में किस तरह से डिजिटल रिकार्ड सबूत के तौर पर पेश किया जाता है की जानकारी विस्तृत तौर पर दी गई।

दिव्यांग मतदाताओं को सभी मतदान केंद्रों पर रैंप तथा व्हील चेयर की व्यवस्था

शिमला/शैल। दिव्यांग मतदाताओं ने इस बार मतदान में बढ़चढ़ भर भाग लेने का संकल्प लिया है। इस पर तपोवन में चिन्मया ग्रामीण विकास संस्था के सभागार में उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के आठ जिलों की दिव्यांगों के कल्याण से जुड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांगों ने भाग लिया इसमें उना की प्रेम आश्रम, बिलासपुर की चेतना संस्था, नाहन की आस्था संस्था, कुनिहार की गणपति एजुकेशन सोसाइटी, रामपुर की कोशिश एक आशा, शिमला की एचवीएचए, मनाली की लाहौल ट्राइवल सोसाइटी मनाली, कार्ड ट्रेनिंग सेंटर कांगड़ा, बाल सहयोग मंडी ने भाग लिया।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप तथा व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के समीप दिव्यांगों के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान के अधिकार से कोई भी दिव्यांग छूट नहीं पाए।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को मतदान में किसी तरह की समस्या न हो इस के लिए ईवीएम पर ब्रेल लिपि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी दिव्यांग मतदान में भाग ले सकें इस के लिए जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान भी आरंभ किया गया है। प्रत्येक घर में वोटर गाइड पुस्तिका वितरित की जाएगी जिसमें मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी मतदाताओं को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में नोमिनेशन से दस दिन पहले तक नाम शामिल किए जा सकते हैं इस के लिए जिला भर में मतदाता जागरूकता अभियान भी आरंभ किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

अब्दुलापुर की राशिद तथा दिव्यांग चैतन्य ने भी सभी दिव्यांगों से मतदान करने का आग्रह किया, निर्वाचन विभाग की ओर से दिव्यांगों को ईवीएम में वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा मतदान की महत्व पर विडियो क्लिप भी दिखाए गए। इस अवसर पर एडीसी राघव शर्मा सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

युवाओं को योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना जरूरी:मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं उनके कार्यो का भारत विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है तथा वे जनसंख्या के सबसे गतिशील खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में आयोजित 'छात्र सम्वाद कार्यक्रम' के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना और भविष्य उनके युवाओं के हाथों में होती है, वे महत्त्वाकांक्षाओं और रचनात्मक विचारों से भरे होते है। उन्होंने कहा कि अगर इन युवाओं को उनकी प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर न मिले तो वे मानव संसाधनों की भारी बर्बादी होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि युवाओं की प्राथमिक भूमिका भविष्य में बेहतर नागरिक बनने के लिए योग्य शिक्षा प्राप्त करना है। उन्हें अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य हुनर सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की पूरी सफलता युवाओं पर निर्भर करती है क्योंकि युवा राष्ट्र को बेहतर बनाने की ताकत रखते है और साथ ही उनमें अपने साथी नागरिकों को सही दिशा में ले जाने की क्षमता भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा समस्या का समाधान करने में सक्षम है और राष्ट्र को चाहिए की वे हमारी अधिकांश समस्याओं को हल करे। उन्होंने कहा कि युवाओं में किसी भी चुनौती और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है और उनका साथी युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राष्ट्र के युवा नशे के जांल में फसते जा रहे जो कि चिंता विषय है। नशा हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहे है। उन्होंने युवाओं से आहवान किया है कि वे नशे के चंगुल से बाहर निकले।

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण का राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान है और यह हमारे युवाओं पर निर्भर करता है कि वे कितने शिक्षित और सशक्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं शुरू की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सामुदायिक निर्णय लेने योग्य बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और ज्ञान को सही दिशा में प्रसारित करने और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई। उन्होंने राज्य के लोगों से पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई की अपील की जिससे राष्ट्र को पोलियो मुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।

उन्होंने इस अवसर पर पुस्तकालय और प्राचीन धर्म ग्रंथों का भी दौरा किया।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के कुलपति प्रो. जी.एस.के. कृष्णामूर्ति और डीन शिक्षा प्रो. प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस संस्थान में पढ़ रहे हिमाचली छात्रों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई राज्य भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में भी भाग लिया।

मुख्य सचिव की चुनावी तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दिए गए दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में मंत्रियों को

अवगत करवाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी। स्वास्थ्य विभाग को लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात कर्मियों की नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विभाग को सभी स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वहां तैनात कर्मियों को सम्पर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए जिससे किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जानकारी दी कि सभी जिलों से अवैध शराब, हथियार और नकदी को जब्त करने के सम्बन्ध में दैनिक रिपोर्ट मांगी जाएगी जिसे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ चुनावों को लेकर बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न स्तरों जैसे कि आबकारी, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित विभागों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर प्रवेश और निकास स्थानों पर नाके स्थापित किए जाएं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर सीमा चौक पोस्ट व आरटीओ स्तर पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि शराब और नकदी को लेकर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जाए ताकि इसे आगे भारत के निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जा सके।

प्रदेश पुलिस विभाग के महानिदेशक एस.आर मरडी ने जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा प्रभावी निगरानी के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की खरीद और होम गार्ड व पुलिस कर्मचारियों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी तक आईटीबीप की एक बटालियन को तैनात किया जा चुका है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से अगर बैनर हटाने का कार्य बाकी रह गया है तो इस कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। प्रदेश में सभी सड़क मार्गो विशेषकर जनजातीय ओर कठिन क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव और विश्राम गृहों की मरम्मत करने तथा मतदान डयूटी में तैनात स्टाफ को ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और रैंप के रख-रखाव के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि संवदेनशील स्थान जहां भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, वहां लोग निर्माण विभाग के कर्मचारियों को तैनात रखा जाए। इसके अतिरिक्त, चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध विद्युत एवं जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि शिक्षण संस्थानों में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कुल 7157 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जलवाहकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन की नियमित रूप से तैनाती की जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, अनिल खाची, निशा सिंह, मनोज कुमार और आर.डी धीमान, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा और ओंकार शर्मा, जीएडी के सचिव डा.आर.एन बत्ता, निदेशक पर्यटन राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक ज.पी कालटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर से हासिल होगी विधिक सेवाओं की जानकारी

शिमला/शैल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवा समिति राजेश चौहान ने कहा कि लोग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के जरिए भी विधिक सेवाओं से जुड़ी

जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में यह बात सोलन के सलोगड़ा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 94180 -33385 और टोल फ्री नंबर 15100 स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के तहत पात्र व्यक्तियों को वकीलों के पैनल में से सरकारी खर्च पर वकील की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा टाइपिंग व याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने, गवाहों को बुलाने और मुकद्दमों से संबंधित अन्य खर्च को भी मुफ्त कानूनी सहायता के तौर पर प्रदान किया जाता है। मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकद्दमें को लेकर कानूनी सलाह भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जानकारी देते बताया कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के पात्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार के शिकार, महिला या बालक, मानसिक रोगी या विकलांग, अनपेक्षित अभाव जैसी बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट के शिकार व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति, हिजड़ा समुदाय से संबंध रखने वाले, एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख रुपए से कम हो और वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख से कम हो भी पात्रता रखते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पैरा लीगल वालंटियर और फ्रंट ऑफिस को लेकर भी जानकारी साझा की। शिविर के दौरान एडवोकेट सुनील शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों की जानकारी साझा करने के अलावा भरण पोषण अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा, बाल सुधार योजना, बाल बालिका सुरक्षा योजना के अलावा मीडिएशन सेंटर की सुविधा और उपयोग को लेकर अपने विचार रखे। जबकि एडवोकेट अजय शर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर शिविर में मौजूद लोगों को जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए लोग नशा बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने में आगे आएं। इस शिविर में ग्राम पंचायत सलोगड़ा के उपप्रधान मायाराम और स्थानीय वार्ड सदस्य जोगिंदर सिंह भी मौजूद रहे।

चुनाव प्रचार में वाहन प्रयोग के लिए लेना होगा परमिट

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट लेना होगा। परमिट के बिना प्रचार में वाहन के प्रयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए बिना परमिट के वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसे मामलों में नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमें गठित की गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों (साईकिल के अतिरिक्त) से अपील की है कि उड़न दस्तों व स्थाई निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से परमिट लिए बिना अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए ना करे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

जब आऊटसोर्स, आर.के.एस. और पीटीए में नियमितिकरण का प्रावधान ही नही तो क्यों चल रही हैं यह योजनाएं

सरकार की नीयत और नीति पर उठे सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश में जनवरी 2018 तक पिछले तीन वर्षो में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है यह सवाल इस बार बजट में 18 फरवरी को रमेश धवाला ने पूछा था। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सवाल वीरभद्र सरकार के कार्यकाल को लेकर था और इस सरकार पर भाजपा का यह आरोप रहता था कि इसे रिटायर्ड और टायर्ड लोग चला रहे हैं। लेकिन आज यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध न होने से यही उभरता है कि या तो भाजपा का यह आरोप ही गलत था या फिर यह सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। इसी तरह मोहन लाल ब्राक्टा, मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह का सवाल आऊट सोर्स कर्मचारियों को लेकर था। सरकार से पूछा गया था कि सरकारी विभागों/उपक्रमों में कितने कर्मचारी आऊट सोर्स पर काम कर रहे हैं। इन पर कितना खर्च हो रहा है कौन सी कंपनीयों के माध्यम से इन्हें रखा गया है। इन्हें पक्का करने की कोई नीति है या नहीं। सरकार ने एक वर्ष में आऊट सोर्स पर कितने कर्मचारी रखे हैं इस सवाल के जवाब में भी सरकार ने यह कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। स्मरणीय है कि वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में आऊट सोर्स कर्मचारियों ने आन्दोलन तक किया था उनकी मांग थी कि उन्हें पक्का करने की योजना बनायी जाये। 35000 कर्मचारी आऊट सोर्स पर रखे होने का आंकड़ा आया था। जयराम सरकार ने इन कर्मचारियों को हटाया नही हैं बल्कि बिजली बोर्ड में जो नया ठेका दिया जा रहा था उसमें फिर से टैंडर बुलाने का फैसला लिया गया है। जब तक नये टैण्डर पर फैसला नही हो जाता है तब तक पुरानी ही कंपनी को विस्तार दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में अब नर्सो की भर्ती भी आऊट सोर्स के माध्यम से की जा रही है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1061 स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी में 173, आर के एस में 94, और ईएसआई सोसायटी में 6 लोगों को रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत इन सोसायटीयों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का नियमों में कोई प्रावधान नही है। सोसायटीयों के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा। कल को यह लोग भी सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने वालों में शामिल हो जायेंगे यह तय है।

इसी तरह शिक्षा विभाग की स्थिति तो और भी दयनीय है। इस समय प्रदेश स्कूल प्रबन्धन कमेटीयों के माध्यम से 2700 अध्यापक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पैट, पीटीए, पीटीए-जी आईए और गवर्नमैन्ट कान्ट्रैक्ट पर सहायक प्रोफैसर 819, पीजीटी 2121, टीजीटी 2941 डीपीई 190, सी एण्ड वी 3757 और जेबीटी 1207 काम कर रहे हैं। लेकिन इन 11035 लोगों का भविष्य क्या होगा? क्या यह नियमित हो पायेंगे? इसको लेकर सन्देह बना हुआ है। इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में 2017 में तीन याचिकाएं दायर हुई थी जो अब तक लंबित चल रही है। इन 11035 लोगों के अतिरिक्त प्रदेश में 27000 लोग एसएमसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। इस तरह करीब 14000 लोगों का भविष्य अकेले शिक्षा विभाग में ही अनिश्चिता में चल रहा है। क्योंकि इन्हें नियमित करने का नियुक्ति एवम् पदोन्नत्ति नियमों में कोई प्रावधान है ही नहीं। और न ही राज्य सरकार यह प्रावधन करने में सक्षम है।

इस परिदृश्य में यह सवाल पैदा होता है कि जब इन्हें अध्यापकों की स्कूलों में आवश्यकता है तो फिर इन्हें नियमित प्रक्रिया के तहत ही क्यों नही भरा जा रहा है। क्या इस तरह से भर्ती करने में मैरिट और आरक्षण आदि के रोस्टर को नजरअन्दाज करने में आसानी होती है। इसलिये ऐसी प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश में पीटीए के तहत शिक्षकों की भर्ती करने की योजना 2006 में बनाई गयी थी। इस योजना के तहत पी टीए को ग्रान्ट-इन-ऐड का प्रावधान किया गया था। 29-9-2006 को अधिसूचित हुई इस योजना के तहत हुई भर्तीयों पर 28 जनवरी 2008 को एक जांच बिठाई गयी थी। इस पर 7-3-2008 को 16 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रान्ट- इन-ऐड नियमों में इन बिन्दुओं पर कुछ नहीं कहा गया है।

1. The GIA Rules specify the maximum amount of grant-in-aid admissible for each post filled but do not lay down any specific emoluments to be paid to the appointees.

2. Period of employment : GIA Rules are silent on the subject. It may please be clarified if there are any other instructions in this regard. The actual process followed by PTAs in this matter may be elucidated.

3. Terms and conditions of employment by PTA: GIA Rules are silent on the subject.

4. Selection process: GIA Rules are silent on the process to be followed by PTAs.

5. Administrative and financial arrangements by PTAs for the scheme: GiA Rules are silent on the subject.

6. There is nothing in the GiA Rules about the leave admissible to the PTA appointees.

GiA Rules are silent on the social security of the PTA appointees. There is nothing about PF contributions and /or insurance for them.

There is nothing on evaluation and appraisal of the work and conduct of the PTA appointees except that the PTA appointees will work under overall supervision of the head of the institution. The GiA Rules are silent on the role of PTAs after the selection.

There is no right to appeal in the GiA Rules and there is no mechanism to addresss the grievances of PTA appointees.

7. PTAs accountability and procedural requirements: The GiA Rules are silent on the role, responsibility, accountability of the PTAs in relation to the teachers appointed by them.

इस जांच रिपोर्ट में आये इन बिन्दुओं पर आज तक वैसी ही स्थिति बनी हुई है। जबकि इसके तहत आज भी स्कूलों में शिक्षक भर्ती किये जा रहे हैं। इन्ही बिन्दुओं पर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर हुई हैं। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब पीटीए के नियम इन बिन्दुओं पर खामोश हैं और 2006 से लेकर आज तक सरकार इसमें कोई संशोधन भी नही कर पायी है तो क्या जानबूझकर सरकार हजारों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आऊट सोर्स के माध्यम से रखे गये लोगों को नियमित करने का प्रावधान नही है। पीटीए और आर के एस आदि के तहत रखे कर्मचारी नियमित नही किये जा सकते तो फिर क्या यह योजनाएं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिये है।

मोदी के आयुष्मान भारत को जयराम के डाक्टरों का ठेंगा

शिमला/शैल। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना है इसमें गरीब लोगों को पांच लाख रूपये तक का ईलाज मुफ्त करवाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से दस करोड़ लोगों को लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ऐसी ही योजनाओं के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। लेकिन शीशे के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर बनाई गयी इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है इसका पता अस्पतालों में जाकर लगता है। अभी दो दिन पहले शैल के प्रतिनिधि को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में जाने का संयोग हुआ। वहां जब एक अधिकारी के पास बैठे थे तब एक रोगी का तामीरदार इस अधिकारी के पास आ पहुंचा। तामीरदार बहुत घबराया हुआ था। उसकी दयनीय हालत देखकर अधिकारी ने उसके घबराने का कारण पूछा। तब इस व्यक्ति ने बताया कि उसका एक आदमी इसी अस्पताल के आर्थो विभाग में दाखिल है। उसका आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है। उसका आपरेशन होना है। लेकिन डाक्टर कह रहे हैं कि इस कार्ड पर उसका आप्रेशन तो हो जायेगा परन्तु जो सामान रोगी डलेगा वह घटिया होगा क्योंकि ऐसे कार्ड वालों के लिये जो सामान खरीदा जाता है वह घटिया होता है। ऐसे में वह फैसला कर लें कि उन्होंने अच्छा सामान डलवाना है कि घटिया। अच्छे सामान के लिये पैसे लगेंगे। डाक्टर की इस राय के बाद वह व्यक्ति इस अधिकारी को मिलने आया था। शायद वह अधिकारी को जानता था। रोगी चम्बा से आया था वह डाक्टर की लिखित में शिकायत करने से डर रहा था क्योंकि उसका मरीज वहां दाखिल था। अधिकारी बिना लिखित शिकायत के कुछ नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप व्यक्ति निराश-हताश होकर लौट गया। जब डाक्टर यह कहेगा कि मुफ्त ईलाज योजना में घटिया सामान लगेगा तब कौन आदमी यह कह पायेगा कि घटिया सामान ही लगा दो। वह अच्छे सामान के लिये अपना कुछ बेचने और कर्ज लेने की विवशता में आ जायेगा। मुफ्त ईलाज योजना के दावों को गरीबों के साथ भद्दा मज़ाक करार देगा।

आयुष्मान योजना गरीबों के लिये बनाई गयी है लेकिन इस योजना के तहत ईलाज करवाने के लिये गरीब आदमी को अपने साथ कम से कम दो तामीरदार साथ लाने होंगे क्योंकि इसके तहत अस्पताल से मुफ्त दवाई लेने के लिये भी कम से कम आधे घण्टे का समय लगेगा क्योंकि प्रक्रिया बहुत लम्बी और पेचीद है। इस प्रक्रिया से घबराकर आम आदमी इस योजना को गाली देने और फिर बाजार से मंहगी दवाई लेने के लिये विवश हो जायेगा।

जब एक तामीरदार ने आईजीएमसी के ही अधिकारी के सामने आर्थो के डाक्टर के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाया और अधिकारी लिखित शिकायत के अभाव में कुछ नहीं कर पाया तब शैल ने इस आरोप की अपने स्तर पर पड़ताल करने पर पाया कि चम्बा से आया यह बीमार मूलत: न्यूरो विभाग में आना चाहिये था लेकिन इसे आर्थो में दाखिल कर लिया गया। जबकि आर्थो के मुकाबले न्यूरो में इसके लिये बड़ी टीम है डाक्टरों की। हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया कि ऐसा पहले भी कई रोगीयों के साथ हो चुका है। इसकी शिकायतें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मन्त्री और स्वास्थ्य सचिव तक पहुंची हुई हैं लेकिन कहीं से भी किसी ने इसकी जांच करवाने का काम नही किया है। आर्थो के डाक्टर पर लगे आरोपों पर अपरोक्ष में एक अन्य डाक्टर ने सफाई देते हुए यह आरोप लगा दिया कि अस्पताल में दवाईयों और अन्य उपकरणों के लिये खरीद की जाती है तब इसके लिये एक डाक्टरों की कमेटी गठित की जाती है। यह कमेटी इस पर जोर देती है कि सबसे सस्ती दवाई/उपकरण खरीदे जायें। इस सस्ती खरीद में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसी कारण से ईलाज करने वाला डाक्टर मरीज को असलियत से परिचित करवा देता है। यदि यह आरोप भी सही है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज मुफ्त ईलाज के नाम पर गरीब आदमी को जिस तरह की परेशानीयां झेलनी पड़ रही है उसका पहला असर तो सरकार की छवि और नीयत पर पड़ रहा है। यह आरोप लग रहा है कि ऐसी योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि हर आयुष्मान कार्ड धारक के दो टैस्ट तो अस्पताल स्थित प्राईवेट लैब एसआरएल से करवा ही दिये जाते हैं।

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक बिस्तर पर दो-दो मरीज रखने की नौबत आ चुकी है। इससे सरकार के सारे दावों की पोल खुल जाती है। आईजीएमसी का एक सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष यह है कि शायद एक दशक से भी अधिक समय से इसका परफारमैन्स आडिट ही हुआ है। माना जा रहा है कि यदि यहां का परफारमैन्स आडिट हर विभाग का करवाया जाता है तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आयेंगे। मोदी की आयुष्मान योजना को डाक्टर जिस ढंग से ठेंगा दिखा रहे हैं इसके परिणाम भयानक होंगे यह तय है।